FORM-1

(For linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR-(57)/2022 - 1242

dated: 29/06/2022

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **00-27-01 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer R&B MC Shimla for construction of Ambulance road from village Anji road to Gautam Niwas via Govt. Primary School Ghora Chowki RD 0/0 to 800, (proposed for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Up-Mohal/Mouja Bag, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.

It is further certified that:-

- a. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **00-27-01 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Sub-Division Level Committee(S) and the District Level Committee are enclosed as annexure-A to annexure-B.
- b. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- c. The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl. As above.

(Aditya Negi)
District Collector,
Shimla

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.

A meeting of the District Level Committee of Shimla District, the under held 2006 was FRA, under constituted Deputy Negi, IAS. Chairmanship/Chairpersonship Shri Aditya of Commissioner, Shimla on 15-06-2022 at 11:00 AM in which the application(s) of applicants of Gram Sabha Kachhi Ghatti, claiming rights in village forest area(s) 00-27-01 Hectares under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee, Shimla (Rural) were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim(s) of following applicant(s) were found to be in order hence admitted:-

Sr. No. Name of applicant Name of Forest Detail of Forest Right
----Nil---

Claim(s) of the following applicant(s) were not found in order and hence rejected:-

Sr. No. Name of applicant Name of Forest Detail of Forest Right
----Nil---

As informed by SDO (Civil), Shimla (Rural) no application was received from Gram Sabha Kachhi Ghatti, claiming right in **00-27-01 Hectares** forest area.

Place: Shimla

Date: 29/06/2022

Deputy Commissioner-cum-Chairman,
District Level Forest Rights Committee,
Shimla,

(OFFICE OF THE Sub-Divisional officer (Civil) Shimla (R)District Shimla(H.P.)

Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional Committee constituted under Schedule tribes and Other traditional Forest Dwellers (Recognition of Right Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee of Shimla Rural Sub-Division, constituted under the FRA,2006 was held under the chairmanship of Mr.B.R. Sharma,S.D.O. (Civil) Shimla Rural on Dated **2**nd March, **2022** at **11:00AM** at Shimla(place) in which the applications of the applicants of President Forest Right Committee, Mouja *Kachhi Ghati* as discussed, and recommended the same is to be forwarded to District Level Committee for approval.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, the claims of following applications were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee:

Sr. No. Name of Applicant

Name of Forest

Details of Forest Rights

1. MC Shimla

Ƙachhi Ghati

link road from Anji road to Gautam Niwas

2.

Sr. No. Name of Applicant

Name of Forest

Details of Forest Rights

1.

2.

As informed by the *Kachhi Ghati* Gram Sabha no other applications were received claiming rights in Forest area.

Place: Shimla

Date: 2nd March, 2022

S.D.O. (Civil)-Cum-Chairman/Chairperson,

Sub-Division Level Committee, Shimla Rural

Addl. District Magistrate

Copy altestad

उप-मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति शिमला ग्रामीण की बैठक दिनांक 02 मार्च ,2022 जो कि श्री बाबू राम शर्मा उप-मण्डलाधिकारी (ना0) शिमला ग्रामीण एवं अध्यक्ष उप-मण्डलाधिकारीसमिति की बैठक की कार्यवाही-

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया

- 1. श्री ओम प्रकाश सहायक वन संरक्षक शिमला ग्रामीण जिला शिमलाहि. प्र.।
- 2. श्री संजीव गुप्ता तहसीलदार शिमला ग्रामीण व मचिव उप -मण्डल स्तरीय समिति शिमला ग्रामीण जिला शिमलाहि . प्र.।
- 3 श्रीप्रमोद कुमार शर्मासदस्य बन अधिकार समितिट्टू शिमला हि. प्र.।
- 4. श्री रमेश शर्मा सदस्य वन अधिकार समिति मशोबरा शिमला हि. प्र.।
 आज दिनांक 0.2 मार्च, २०२८ को उप मण्डलाधिकारी जात शिमला ग्रामीण की अध्यक्षता में
 उप-मण्डल स्तरीयवन अधिकार समिति की बैठक की गरे, बैठक में सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय ने
 सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया व बन अधिकार अधिनियम के बारे में सभी को विस्तृत
 जानकारी दी तत्पश्चात निम्न मदों पर चर्चा की गई:-

मद संख्या 1 बैठक में अधिशाषी अभियन्ता लो. नि. वि. स्कीउप-भण्डल सुन्नी के पत्र संख्याNo. PW-SSD-R-2/2021-22 दिनांक 03-12-2021 के आवदन पत्र सम्पर्क मार्ग धायला रक्का ६६-७७६-४६ हैक्ट. वन भूमि हस्तांतरण बारे संस्तुति की गई। उपयुक्त मद के सन्दर्भ में उप-भण्डल स्तर पर वन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा प्रस्तुत न हुआ। अतः उत्त प्रायोजन हेतु भूमि देने बारे/ हस्तांतरण करने बारे प्रस्ताव पारित किया गया।

मद संख्या **2** बैठक में अधिकापी अभियत्ता लो. जि. बि. जिमला मण्डल - १ शिमला के पत्र संख्या No.MCS/XEN/2932/RB/2020-2499दिनांब 15-09-2021 के आबंदन पत्र Shimla Journalist House Building Coloperative Society Ltd. Block-C. Pattakar Vinar, Kachighati, Shimla - 10 रक्का 0.0072 हैक्ट. बन भूमि हस्तांतरण बारे संस्तुति की गई। उपथुक्त भद के सन्दर्भ में उप-मण्डल स्तर पर बन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा प्रस्तुत न हुआ। जत उत्त प्रायोजन हेतु भि देते बारे/ हस्तांतरण करने बारे प्रस्ताव पारित किया गया।

Copy attested

Addl. District Magistrate
SHIMLA

के सन्दर्भ में उप-मण्डल स्तर पर वन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा प्रस्तुत में हुआ। अतः उक्त प्रायोजन हेतु भूमि देने बारे/ हस्तांतरण करने बारे सशर्त प्रस्ताव पारित किया गया।

मद संख्या बुबैठक में अधिशाषी अभियन्ता लो. नि. वि. शिमला मण्डल-1 शिमला के पत्र संख्या No. 623 दिनांक 20-12-2021 के आवेदन पत्र सम्पर्क मार्ग घोरना से धावग रक्व (ब.4830 हैक्ट. वन भूमि हस्तांतरण बारे संस्तुति की गई। उपयुक्त मद के सन्दर्भ में उप-मण्डल स्तर पर वन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा प्रस्तुत न हुआ। अतः उक्त प्रायोजन हेतु भूमि देने बारे/ हस्तांतरण करने बारे सशर्त प्रस्ताव पारित किया गन्ना।

मद संख्या १ बैठक में अधिशाषी अभियन्ता लो. नि. वि. शिमला मण्डल-1 शिमला के पत्र संख्या SDI-CB-WA FRA/21-16096 दिनांक 02-11-2021 के आवेदन पत्र सम्पर्क मार्ग छबरोग वाया छाछरु और बाग तहसील शिमला ग्रामिण रक्वा 0.2688 हैक्ट. वन भूमि हस्तांतरण बारे संस्तुति की गई। उपयुक्त मद के सन्दर्भ में उप-मण्डल स्तर पर जन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा प्रस्तुत न हुआ। अतः उक्त प्रायोजन हेतु भूमि देने बारे/ हस्तांतरण करने बारे सशर्त प्रस्ताव पारित किया गया।

मद संख्या 5 बैठक में सहायक अभियन्ता लो. नि. वि. शिमला उप-मण्डल-जलोग जिला शिमला के पत्र संख्या PW-SRDD-Diversion of Forest Land/2021-22-1230-31 दिनांक 19-02-2022 के आवेदन पत्र सम्पर्क मार्ग जलोग गढेरी सड़क ता कलवेंटी उप-तहसील जलोग रक्वा 00-16-64 हैक्ट. वन भूमि हस्तांतरण बारे संस्तुति की गई। उपयुक्त मद के सन्दर्भ में उप-मण्डल स्तर पर वन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा प्रस्तुत न हुआ। अतः उक्त प्रायोजन हेतु भूमि देने बारे/ हस्तांतरण करने बारे सशर्त प्रस्ताव पारित किया गया।

मद संख्या **८** बैठक में अधिशाषी अभियन्ता लो. नि. वि. शिमला मण्डल शिमला ग्रामीण के पत्र संख्या SRDD-Diversion of forest land /2021 -17209-10 दिनांक 08-02-2021 के आवेदन पत्र सम्पर्क मार्ग मुण्डाघाट ता गलोन तहसील शिमला ग्रामीण रक्वा 00-78-83 हैक्ट. वन भूमि हस्तांतरण बारे संस्तुति की गई। उपयुक्त मद के सन्दर्भ में उप-मण्डल स्तर पर वन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा प्रस्तुत न हुआ। अतः उक्त प्रायोजन हेतु भूमि देने बारे/ हस्तांतरण करने बारे संशर्त प्रस्ताव पारित किया गया।

copy attested



मद संख्या PW-SD-I/WA-Forest Clearance/2020-21 dated 19-03-2021 दिनांक 19-03-2021 के आवेदन पत्र सम्पर्क मार्ग Four Lane भट्टा कुफर ता IGMC Stage -2 तहसील शिमल ग्रामीण रक्वा 00-94-06 हैक्ट. वन भूमि हस्तांतरण बारे संस्तुति की गई। उपयुक्त मट के सन्दर्भ में उप-मण्डल स्तर पर वन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा प्रस्तुत न हुआ। अतः उक्त प्रायोजन हेतु भूमि देने बारे/ हस्तांतरण करने बारे संशर्त प्रस्ताव पारित किया गया।

मद संख्या कु बैठक में अधिशाषी अभियंता, आर एंड बी एमसी शिमला के पत्र संख्या MCS/XEN/RB/2021-2239 दिंनाक 04-08-2021 के आवेदन पत्र सम्पर्क मार्ग बाबा बालक वाथ मंदिर लोयर सांगटी तहसील शिमला ग्रामीण रक्वा 0.0487 हैक्ट. वन भ्रिः हस्तांतरण बारे संस्तुति की गई। उपयुक्त मद के सन्दर्भ में उप-मण्डल स्तर पर वन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा प्रस्तुत न हुआ। अतः उक्त प्रायोजन हेतु भ्रिम देने बारे/ हस्तांतरण करने बारे सशर्त प्रस्ताव पारित किया गया।

मद संख्या 🍎 बैठक में अधिशाषी अभियंता हि.प्र. लो. नि. विभाग शिमला ग्रामीण मण्डल के पत्र संख्या SRDD-Diversion of forest land/2021-15818-19 दिनाक 08-01-2021 के आवेदन पत्र भूखो (भलदी) नेहरा तहसील शिमला ग्रामीण रक्वा 0.2678 हैक्ट. वन भूमि हस्तांतरण बारे संस्तुति की गई। उपयुक्त मद के सन्दर्भ में उप-मण्डल स्तर पर वन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा प्रस्तुत न हुआ। अतः उक्त प्रायोजन हेतु भूमि देने बारे/ हस्तांतरण करने बारे सशर्त प्रस्ताव पारित किया गया।

मद संख्या 10 अधिशाषी अभियंता, आर एंड बी एमसी शिमला के पत्र संख्या MCS/XEN/RB/2021-265 दिंनाक 28-01-2021 के आवेदन पत्र गाँव आँजी सड़क ता गौतम निवास वाया रा. प्राथमिक पाठशाला घोड़ा चौकी रक्वा 0.2701 हैक्ट. वन भूमि हस्तांतरण बारे संस्तुति की गई। उपयुक्त मद के सन्दर्भ में उप-मण्डल स्तर पर वन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा प्रस्तुत न हुआ। अतः उक्त प्रायोजन हेतु भूमि देने बारे/ हस्तांतरण करने बारे सशर्त प्रस्ताव पारित किया गया।

मद संख्या 1 बैठक में अधिशाषी अभियन्ता लो. नि. वि. शिमला मण्डल-1 शिमला-३ के पत्र संख्या PW-SD-I/WA-Forest Clearance/2020-19769-71 dated 05-01-2021 के आवेदन पत्र सम्पर्क मार्ग BCS ता खलिणी विहार तहसील शिमला ग्रामीण रक्वा 0.1704

Addl. District Magistran SHIMLA

हैक्ट. वन भूमि हस्तांतरण बारे संस्तुति की गई। उपयुक्त मद के सन्दर्भ में उप-मण्डन स्तर पर वन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा प्रस्तुत न हुआ। अतः उक्त प्रायोजन हेतु भूमि देने बारे/ हस्तांतरण करने बारे सशर्त प्रस्ताव पारित किया गया।

मद संख्या 19 बैठक में प्राधानार्चाय Govt. ITI मशोबरा के पत्र संख्या ITI/Mashobra/Land Building /2016-584 दिनांक 16-12-2021 के आवेदन पत्र Establishment of Govt. ITI Mashobra 00-37-26 हैक्ट. वन भूमि हस्तांतरण बारे संस्तुति की गई। उपयुक्त मद के सन्दर्भ में उप-मण्डल स्तर पर वन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा प्रस्तुत न हुआ। अतः उक्त प्रायोजन हेतु भूमि देने बारे/ हस्तांतरण करने बारे सशर्त प्रस्ताव पारित किया गया

मद संख्या 1 के बैठक में अधिशाषी अभियन्ता लो. नि. वि. शिमला मण्डल-1 शिमला-3 पत्र संख्या PW-SD-I/WA-Forest Clearance/2020-21- 19663-65 दिनांक 28-12-20211 के आवेदन पत्र Link Road from Gusan to Basteli 0.5511 हैक्ट. वन भूमि हस्तांतरण बरे संस्तुति की गई। उपयुक्त मद के सन्दर्भ में उप-मण्डल स्तर पर वन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा प्रस्तुत न हुआ। अतः उक्त प्रायोजन हेतु भूमि देने बारे/ हस्तांतरण करने बारे सशर्त प्रस्ताव पारित किया गया

Copy attested

Addl. District Marietante

उप-मण्डलाधिमारी (ना0)-कम-चेयरमैन,

उप-मण्डल स्तरीय कमेटी, 1शिमला ग्राभीण।

अनुस्चित जनजाति और अन्य परम्परगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अभिनियम, 2008 यन अधिकार समिति प्रातिशिषी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 🔑
वन अधिकारी समिति साम समा क्या है है है की बैठक आज दिनांक 10 1/16
वन अधिकारी सिगिति साम समा क्षेत्र हैं। है। है। की बैठक आज दिनांक ि। १८०१ है। को को स्थान जिसमें आजिजिल की बैठक आज दिनांक ि। १८०१ है। को को स्थान जिसमें आजिजिल के कि की अनुसूचित जनजाति और करन
प्रभारागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत तगल / वन क्षेत्र में (जिसमें विमाग हारा 3-15ना जांग क्रक जातान निजान
त्यास / वन क्षेत्र में (जिसमें विमाग द्वारा अ)आण नम आरोग मनगर
के निर्माण के लिए ए-शा-ए। हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की नंजूरी प्रस्तावित है। वन अविकारों के लिए
इस्ते हेतू प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई । वन अधिकारों के प्रस्तादी
के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति जिल
हारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-
क्रासंट *पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का व्यौरा
२ २ जुलेम सेडब लग ी-ार्डाण आर्जी और में भेगता किया तहन .
0-27-018H
तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों की पारित करने हेतू ग्राम समा से इसकी सिफारिश करती है।
रुपरोहत में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :
कारतं। अपात्र गांव वासी का नाम मन्द्री की ऑग वासी द्वारा तम क्षीरसन्तर का भागता रही नहीं है।
2 तदानुसार ग्राम समा इस दावे/ इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।
या .
0-27-01 जाएन (तन क्षेत्र में कोर्ड भी वन अधिकार का दावा प्राप्त गर्ही हुआ।
The Towner Tell
स्यान अध्यक्ष / पार्षेद तम् अध्यक्ष / पार्षेद
एयान प्राप्त वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त गर्ही हुआ। प्रधान प्रधान प्रधान प्रधान प्रधान प्रधान प्रधान प्रधान प्रधान वन अधिकार पार्षिद वन अधिकार प्रधान वन अधिकार पार्षिद वन अधिकार प्रधान वन अधिकार पार्षिद वन अधिकार पार्षिद वन अधिकार प्रधान वन अधिकार पार्षिद वन अधिकार पार्षिद वन अधिकार पार्षिद वन अधिकार पार्षिकार पार
" अन्यानी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के कि
नार्यद्वार चित्रपा है।

का प्रोजैक्ट / कार्य का नाम जिसक लिए वन (संरक्षण) अभिन्यमं, 1930 के अन्तर्गत वन न्या के उपा । की अनुमति दो जानी है।

भीताम भिर्माम त्या / तदानुसार यह ग्राम सभा इस वावे / इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दादा नियमानुसार सही नही पाया गया -

क्णनं। भात्र गांव वासी का नाम क्रिमी की भील मामा द्वीरा बना औरनकार का मामला द्वी नहीं है।

ादानुसार ग्राम समा इस दावे / इन दावों की निरस्त करती है।

में कोई मी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ। अध्यक्ष / पार्षद वार्ड समित्रि वार्ड नंी...

* गागदासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजैक्ट / कार्य का नाम जिसक लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यन मूहि के उपायोग की अनुमति दी जानी है।

Addl District Magistrate SHIMLA

क्रान जनजाति और अन्य परम्परगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006	
्या ममा	1)
विकास खण्ड जिला (१८०५०)	c Asy
प्रतिसिपी प्रस्ताव	est!
विमाक 03/7/10/91.	
गणपूर्ति	
विषय राम्य को निम्म के जिल्ला के निम्म विमाग/संस्था को निम्म जिल्ला को जान । जान जिल्ला विमाग/संस्था को जान । जान जान ।	
प्रसावित <u>ी-ी-०/</u> हैक्टेयर दन भूनि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमित प्रदान करने हेतूं।	,
की मंजूरी के लिए सहमित प्रदान करने हेतूं।	*
का समा को स्थान अग्राजा अन्य अग्राजा की बैठक आज दिनांक विक को विक आज दिनांक विक अग्राजा की बैठक आज दिनांक विक को विक अग्राजा की स्थान अग्राजा अन्य अग्राजा की गई जिसमें को अग्राजा की स्थान अग्राजा की स्थान अग्राजा की संगर्ध को स्थान की संगर्ध की संग्र की संग्र की संगर्ध की संग्र	
न्यर निर्माण हेतू न्यर निर्माण हेतू न्यर निर्माण हेतू न्यर निर्माण होतू न्यर निर्माण होतू न्यर निर्माण होत् संज्य	हें के
जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित <u>0-97-0/</u> हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी तिए सहभति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।	*
Rix de mi astri extra in the same and a same	
सभी ग्रामवासियों ने संब्धित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम समा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन दिए जाने पर सहमत है।	पूरी न्ही
सान की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिका मान्यता अधिनियम, 2006 के अनतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारें पर भी चर्चा की गई तर सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के	था सर्द निषटारे
सम्बन्धित सारी प्रकिया पूरी की जा रही है / कर ली है तथा प्रस्तावित के निर्माण है कर ली है तथा प्रस्तावित के निर्माण है कर ली है तथा प्रस्तावित के निर्माण है के निर्माण के निर्माण है के निर्माण है के निर्माण है के निर्माण के निर्माण सहमित दी जाती है।	यर वन र्ह
ddl. District Magistrau SHIM A स्थान विक कार्यक्ष / पार्षद वन अधिकार स्थान वार्ड मेंग्रिक वार्ड मिग्रिक वार्ड संगित वार्ड संगित वार्ड संगित वार्ड संगित वार्ड संग	